

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

दिनांक २९/०३/ 2023

क्रमांक:-एफ-९/सहायता/2023/ ४९०४

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:-बजट आवंटित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसून सत्र 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापन के तहत स्वीकृत राजकीय सड़को/नहर/पूल/ भवनों/विद्यालयों के रेस्टोरेशन कार्यों के लिए बजट आवंटित किया गया था इसके फलस्वरूप इस कार्यालय स्तर से प्राप्त बिलों का भुगतान कराने हेतु बिल तैयार कर कोषालय बारां में भिजवाये जाने पर चार बिलों में कोषालय से बिलों में आक्षेप लग जाने तथा आक्षेपों की पूर्ति उपरान्त पुनः बिल पारित हेतु कोषालय को भिजवाये जाने पर, पे-मेनेजर सरवर बंद होने के कारण डीडीओ से कोषालय में अंतरित नहीं हो सके इस कारण निम्न बिल भुगतान से लंबित रहे हैं-

क्र०सं० रेफरेंस नं० व दिनांक


हेड

बिल के भुगतान योग्य राशि

1-	45204411 / 16.03.2023	2245-02-106-08-01	528034
2-	45169445 / 28.03.2023	2245-02-107-02-01	149631
3-	45264638 / 25.03.2023	2245-02-107-02-01	149513
4-	45026633 / 25.03.2023	2245-02-107-02-01	148057
			447201

अतः निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बिलों का भुगतान कराने हेतु बजट मद 2245-02-106-08-01 में 528500/-रूपये एवं बजट मद 2245-02-107-02-01-21 में 447500/- रूपये का बजट पुनः आवंटित करने का श्रम करावें, ताकि गत वर्ष में लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सके।

भवदीय,


जिला कलक्टर,
बारां